

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 130 वर्ष 2016

आवेदक-**मौ० निर्मला देवी**

केता-**श्री मति कुमिया देवी**

ग्राम-**खाइम**

ग्राम-**खाइम**

थाना-**जौमिया**

जिला-बोकारो

थाना-**जौमिया**

जिला-बोकारो

आदेश की क०सं० तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख का 03
31/12/24	आदेश अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद निष्पादन हेतु उभय पक्ष की अभिरुचि नहीं है एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। लम्बी अवधि से वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)।	 भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)।